न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1, बदायूँ

समक्षः कु0 रिंकू, एच 0 जे0 एस 0 (J.O. Code- UP 6101)

1– सत्र वाद सं0 532/2013

CIS NO. S.T./100532/2013

UPBN010032842013

सरकार बनाम 1– नीरज पुत्र रोहन उर्फ रघुवीर
2– योगेन्द्र पुत्र महेन्द्र सिंह यादव **(पत्रावली पृथक)**
निवासीगण मीरमपुर, थाना गुन्नौर, जिला सम्भल
.....अभियुक्तगण
मु0 अ 0 सं0 679/2012
धारा 147, 148, 307/149, 336, 504, 506 भा0 दं0 सं0
थाना गुन्नौर, जिला सम्भल

एवं

1– सत्र वाद सं0 534/2013

CIS NO. S.T./100534/2013

UPBN010002002013

सरकार बनाम शिवम पुत्र रोहन सिंह
निवासी मीरमपुर घेर, थाना गुन्नौर, जिला सम्भल
.....अभियुक्त
मु0 अ 0 सं0 679/2012
धारा 147, 148, 307/149, 336, 504, 506 भा0 दं0 सं0
थाना गुन्नौर, जिला सम्भल

निर्णय

01– प्रस्तुत विचारण में थाना गुन्नौर जिला सम्भल पुलिस द्वारा मु0 अ 0 सं0 679/2012 में विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण योगेन्द्र व नीरज के विरूद्ध आरोप पत्र सं 0 255/2012 दिनांकित 26.11.2012 एवं अभियुक्त शिवम के विरूद्ध आरोप पत्र सं 0 255 बी/2012 दिनांकित 13.02.2013 अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307,

336, 504, 506 भा0 दं0 सं0 अवर न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं, जिन पर अवर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेने के उपरान्त पत्रावलियों को सत्र सुपुर्द किया गया, जहां से अन्तरित होकर यह पत्रावलियां इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुई हैं।

02– दौरान वाद विचारण सत्र वाद सं0 532/2013 के अभियुक्त योगेन्द्र की पत्रावली पृथक की गयी है। इसलिए इसमें केवल नीरज का ही विचारण किया जा रहा है।

03– चूंकि दोनों सत्र वाद एक ही घटना तथा साक्ष्य से संबंधित है, अतः सुविधा की दृष्टि से दोनों सत्र वादों का निर्णय भी एक साथ पारित किया जा रहा है।

04– उक्त दोनों सत्र वादों का संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राजू पुत्र नबाब सिंह निवासी मीरमपुर घेर थाना गुन्नौर द्वारा थाना हाजा पर लिखित तहरीर दिनांकित 29.09.2012 इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि आज दिनांक 29.09.2012 को मैं तथा मेरा भाई रवि तथा मेरे पिता जी नबाब सिंह अपने घर के सामने अपनी जगह में मिट्टी फैला रहा थे, इस जगह पर हमारा महेन्द्र से विवाद चल रहा था कि दीपक पुत्र महेन्द्र सिंह, शिवम पुत्र रोहन, योगेन्द्र पुत्र महेन्द्र सिंह, अतेन्द्र पुत्र बृजवल्लभ, नीरज पुत्र रोहन एकदम अपने हाथों में तमंचे तथा लाइसेंसी बंदूक सियाराम की थी, लेकर आ गये और हमारे ऊपर हमारी जान से मारने के लिए फायर करने लगे तथा छत से ईट बरसाने लगे। हम लोगों को फायर लगे हैं। शोर पर गोपाल सिह पुत्र रामचरन, लालाराम पुत्र रामचरन तथा गांव के अन्य लोग आ गये तथा मुल्जिमों को ललकारा तो मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। मेरे तथा मेरे पिता जी नबाब सिंह तथा मेरा भाई रवि तथा मेरी बहन को काफी चोट आयी। कार्यवाही की जाये। यह बाक्या सुबह 8.00 बजे का है।

05– वादी की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर दिनांक 29.09.2012 को समय 10.10 बजे पर मु0 अ 0 सं0 679/2012 धारा 147,148, 149, 307, 336,506 भा0 दं0 सं0 विरूद्ध दीपक, योगेन्द्र, शिवम, अतेन्द्र, नीरज दर्ज हुआ, जिसका इन्द्राज उसी दिनांक व समय पर रोजनामचाआम पर किया गया। चुटैलों के चिकित्सीय परीक्षण, एक्सरे आदि कराये गये। विवेचक द्वारा विवेचना की गयी। घटनास्थल का नक्शानजरी बनाया गया। विवेचक द्वारा वादी/चुटैलों एवं अन्य समस्त गवाहान के बयान धारा 161 दं0 प्र 0 सं0 अंकित किये गये। विवेचना संबंधी समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात विवेचक द्वारा अभियुक्तगण योगेन्द्र एवं नीरज तथा शिवम के विरूद्ध उपरोक्तानुसार पृथक–पृथक आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 336, 504, 506 भा0 दं0 सं0 अवर न्यायालय में प्रेषित किये गये। यहां पर उल्लेखनीय है कि एक अन्य आरोप पत्र भी अभियुक्तगण दीपक व अतेन्द्र के विरूद्ध न्यायालय में प्रेषित किया गया था जो पृथक सत्र वाद के रूप में पंजीकृत हुआ। दोनों अभियुक्तगण दीपक व अतेन्द्र की मृत्यु हो चुकी है।

06– अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को नकलें प्रदान की गयीं। तत्पश्चात मामले सत्र परीक्षणीय धारा से संबंधित होने के कारण दिनांक 26.07.2013 को सत्र सुपुर्द किये गये। जहां से अन्तरण के पश्चात यह सत्र वाद इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुये हैं।

07– अपर सत्र न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के पश्चात दोनों सत्र वादों में अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 08.11.2013 आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 307/149, 336, 504, 506 भा0 दं0 सं0 विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया गया तथा विचारण की मांग की।

08– अभियोजन की ओर से निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है एवं प्रपत्रों/वस्तुओं को साबित किया गया है–

साक्षी संख्या	**नाम**	**साबित किये गये कागजात/वस्तुयें**
1	वादी राजू पुत्र नबाब सिंह	तहरीर प्रदर्श क–1
2	रवि पुत्र नबाब सिंह	-
3	नबाब सिंह पुत्र रामचरन	-
4	कु0 सपना पुत्री नबाब सिंह	-
5	डाक्टर आर 0 एस 0 यादव	एक्सरे रिपोर्ट चुटैल रवि यादव प्रदर्श क-2 एक्सरे रिपोर्ट चुटैल राजू प्रदर्श क-3 एक्सरे रिपोर्ट चुटैल नबाब सिंह प्रदर्श क-4 एक्सरे रिपोर्ट चुटैल लालाराम प्रदर्श क-5
6	कां0 72 हेमपाल सिंह	चिक प्र 0 सू0 रि0 प्रदर्श क-6
7	एस 0 आई 0 गिरिराज किशोर	नक्शानजरी घटनास्थल प्रदर्श क-7 एवं प्रदर्श क-8 आरोप पत्र अभियुक्तगण नीरज एवं योगेन्द्र प्रदर्श क-9
8	डाक्टर शेर सिंह कक्कड़	आघात चुटैल रवि यादव प्रदर्श क-10 आघात आख्या लालाराम प्रदर्श क-11 आघात आख्या सपना प्रदर्श क-12 आघात आख्या नबाब सिंह प्रदर्श क-13 आघात आख्या राजू यादव प्रदर्श क-14
9	निरीक्षक विनोद कुमार शर्मा	आरोप पत्र अभियुक्त शिवम प्रदर्श क-15

09– अभियाजन साक्ष्य समाप्त हुआ। अभियोजन साक्षीगण की मुख्य परीक्षा के कथन निम्न प्रकार हैं–

10- पी0 डब्लू0-1 वादी मुकदमा राजू ने मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि मुल्जिमान दीपक, योगेन्द्र, शिवम, अतेन्द्र व नीरज को घटना से पहले अच्छी तरह से जानता पहचानता हूं क्योंकि मुल्जिमान मेरे ही गांव के रहने वाले हैं। आज मुल्जिम शिवम व योगेन्द्र हाजिर अदालत हैं। दीपक, योगेन्द्र सगे भाई हैं तथा शिवम व नीरज आपस में सगे भाई हैं, दीपक के शिवम व नीरज भतीजे हैं तथा अतेन्द्र भी दीपक के परिवार का है और उनका भतीजा लगता है। सभी मुल्जिमान एक ही परिवार है। आज से एक साल तीन माह पहले सुबह आठ बजे की घटना है, मेरे भाई रवि व पिता नवाब सिंह घर के सामने पड़ी जगह में मिट्टी फैला रहे थे तभी दीपक, शिवम, नीरज, योगेन्द्र व

अतेन्द्र अपने हांथों में तमंचा व लाइसेंसी बन्दूक जो शिवम के हाथ में थी और सियाराम की थी , लेकर आ गये और हम लोगों के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किये तथा ईटें बरसाने लगे, जिससे हम लोगों के चोटें आ गयीं। हम लोगों के शोर पर गवाह गोपाल, लालाराम व सपना आ गये, उनके ललकारने पर मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुये लालाराम व सपना को भी मारपीट करते हुये भाग गये। इस घटना की तहरीर मैने स्वयं लिखी जो पत्रावली पर कागज सं0 4क/2 के रूप में शामिल है, मेरे लेख व हस्ताक्षर में हैं। इस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। इस तहरीर को ले जाकर मैंने थाना गुन्नौर पर दीवान जी को दी। जिन्होने तहरीर के आधार पर मेरी रिपोर्ट लिखी तथा हम लोगों का डाक्टरी मुआइना बदायूँ में हुआ, वहीं पर हमारे एक्सरे हुये थे तथा मेरे पिता नबाब सिंह का अलीगढ इलाज भी हुआ था। इस घटना में मेरे भाई रवि, बहन सपना, मेरे पिता नबाब सिंह के चोटें आयी। पुलिस वालों ने इस घअना के संबंध मेंपूछतांछ की थी। मुल्जिमान से हमारी लड़ाई जगह के उपर चल रही थी।

11- पी0 डब्लू0-2 रवि ने अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि मैं मुल्जिमान दीपक, योगेन्द्र, शिवम, अतेन्द्र व नीरज को जानता हूँ, क्योंकि मुल्जिमान मेरे गांव के रहने वाले हैं। आज मुल्जिम योगेन्द्र व शिवम हाजिर अदालत है। दीपके व योगेन्द्र सगे भाई हैं। शिवम व नीरज दीपक के भतीजे हैं और अतेन्द्र भी दीपक का परिवार का भतीजा है। दिनांक 29.09.12 सुबह 8:00 बजे का समय था, जबकि मेरा भाई राजू व मेरे पिता नबाब सिंह घर के सामने वाली जगह में मिट्टी डाल रहे थे। कि तभी मुल्जिम दीपक, शिवम, योगेन्द्र, नीरज व अतेन्द्र आ गये। शिवम पर सियाराम की लाइसेंसी बन्दूक, दीपक पर प्राइवेट बन्दूक, योगेन्द्र, नीरज व अतेन्द्र के हाथों में तमंचे थे आते है गालियां देने लगे, जब मेरे पिता ने गाली देने से मना किया तो मुल्जिमान ने अपने हाथ में लिये तमंचे व बन्दूक से हम लोगों के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिये, जिससे मेरे व मेरे पिता नवाब सिंह व राजू के चोटे आयीं, शोर पर गवाह लालाराम व गोपाल आ गये, जिनके ललकारने पर मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देकर जाने लगे, तभी इन्होंने ईटें फेंकी जिससे लालाराम व सपना के चोटे आयीं, मेरे पिता के शिवम बन्दूक से किया हुआ फायर लगा था तथा मेरे दीपक की बन्दूक का फायर लगा, मेरा डाक्टरी मुआयना गुन्नौर अस्पताल में तथा एक्सरे बदायूँ अस्पताल में हुआ था, पुलिस ने इस घटना के संबंध में मुझसे पूछतांछ की थी। मुल्जिमान से जमीन के उपर रंजिश चल रही है।

12- पी0 डब्लू0-3 नवाब सिंह ने अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि आज से लगभग तीन साल पहले की बात है। सुबह के 8 बजे का समय था। घटना के वक्त मैं अपने घर पर था। मैं अपने घर के सामने मिट्टी फैला रहा था वहां पर मैं, मेरा छोटा लड़का रवि तथा बड़ा लड़का राजू नल पर कुल्ला कर रहा था। मैं अपने घर के सामने मिट्टी फैला रहा था। तभी मुल्जिमान दीपक, योगेन्द्र, अतेन्द्र, शिवम, नीरज आये। एक बन्दूक दीपक पर थी, दूसरी लाइसेंसी बन्दूक शिवम पर थी, जो कि सियाराम की थी, बाकी तीनों तमंचे थे। इन लोगों ने मुझे बहन बेटी की गन्दी गन्दी गाली देते हुये कहा कि आज सालों को जान से मार दो। मैंने गाली देने से मना किया कि मैं अपनी जगह में

मिट्टी फैला रहा हूँ, मुझ से झगड़ा क्यों कर रहे हो। इसके बाद मुल्जिमानों ने जान से मारने की नीयत से फायर किये। शिवम का फायर मेरे लगा, दीपक का फायर रवि को लगा, एक फायर राजू को लगा। यह नहीं पता कि राजू को किससे द्वारा किया गया फायर लगा। मैं अपने बचाव में कुछ नहीं किया। मौके पर फायरों की आवाज पर लालाराम व गोपाल मेरे दोनों भाई आ गये थे, मेरी बेटी सपना भी आ गयी थी। इन तीनों लोगों का भी मुल्जिमानों ने ईट, पत्थर मारे, मौके पर और बहुत भीड़ इकट्ठा हो गयी, जिनके ललकारने व खदेड़ने पर मुल्जिमान मौके से भाग गये। घटना की रिपोर्ट मेरे बेटे राजू ने लिखायी थी। पहले हम सबको थाने में डाक्टरी के लिये सरकारी अस्पताल गुन्नौर भेजा। वहां से जिला अस्पताल बदायूं भेज दिया गया। वहां हम सभी लोगों का डाक्टरी मुआयना एक्सरे व इलाज हुआ था। घटना में फायर लगने से मेरी आंख की रोशनी चली गयी। बदायूं में मुझे उचित इलाज का अलीगढ़ भेज दिया जहां मेरा इलाज हुआ।

13- पी0 डब्लू0-4 कु0 सपना ने अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि आज से लगभग 4 साल से एक माह कम पहले की बात है। सुबह आठ बजे का समय था। मैं अपने घर में थी। घर के सामने मेरे पापा नवाब सिंह, भाई राजू, रवि अपनी जगह में मिट्टी फैला रहे थे। मुल्जिमान शिवम, दीपक, योगेन्द्र, नीरज, अतेन्द्र आये। शिवम के पास लाइसेंसी बंदूक तथा अन्य मुल्जिमान के पास तमंचे व बंदूके थीं। मुल्जिमान मेरे पिता नवाब सिंह व भाइयों राजू व रवि को गंदी गंदी गालियां देने लगे। मेरे पिता व भाईयों के गाली देने पर मना करने पर शिवम ने अपने हांथ में लिये सियाराम की लाइसेंसी बन्दूक से तथा अन्य मुल्जिमानों ने अपने हांथों में लिये तमंचे व बन्दूकों से मेरे पिता व मेरे भाइयों को जान से मारने की नीयत से सभी ने फायर किये। जब हम लोग बचाने आये तो मेरे व लालाराम के ऊपर डंडों व ईंट-पत्थरों से पथराव करके घायल कर दिया। इस घटना में मेरे पिता नवाबसिंह व मेरे भाइयों राजू व रवि तथा मेरे तथा मेरे चाचा लालाराम के भी चोटें आयीं। इस घटना को मेरे ताऊ गोपाल ने भी देखा था तथा हम लोगों को बचाने का प्रयास भी किया था। इस घटना की रिपोर्ट मेरे भाई राजू ने थाने पर लिखायी थी। इस घटना में चुटैल हुये रवि, लालाराम, नवाबसिंह व मैं अपने भाई राजू के साथ थाने गये थे, जहां हम लोगों की चोटें देखकर व लिखा पढ़ी करके दीवान जी के साथ जिला अस्पताल बदायूँ भेजा गया। जहां हम लोगों का डाक्टरी मुआइना व एक्सरे हुआ था। दरोगा जी ने घटना के संबंध में मेरा बयान लिया था। तब मैंने उनको सारी बात बता दी थी।

14- पी0 डब्लू0-5 डाक्टर आर0 एस0 यादव ने अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि मैं दिनांक 01.10.2012 को जिला अस्पताल बदायूँ में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर तैनात था, उस दिन मेरे पास रेडियोलाजिस्ट विभाग का भी चार्ज था। उस दिन चुटैल रवि यादव पुत्र नबाब सिंह निवासी मीरमपुर घेर थाना गुन्नौर जिला सम्भल का एक्सरे मेरी देखरेख में हुआ था।

एक्सरे प्लेट नं0 11625 दिनांक 01.10.2012

1- छाती का एक्सरे- मैटेलिक धातु की छाया सीने पर दाहिनी ओर मौजूद थी

2- पेट का एक्सरे- कोई हड्डी टूटी नहीं पायी गयी।

3- दाहिनी अग्रबाहु का एक्सरे- तीन Radio Opqua मैटेलिक धातु की छाया दाहिने अग्रबाहु में मौजूद थी।

4- बांयी जांघ का एक्सरे- एक Radio Opqua मैटेलिक धातु की छाया बांये जांघ की एरिया में देखी गयी।

5- बांया पैर का एक्सरे- एक Radio Opqua छाया मैटेलिक धातु की बांये पैर के एरिया में मौजूद थी

6- दाहिने पैर तथा टखना सहित एक Radio Opqua मैटेलिक धातु की छाया टखने के एरिया में पायी गयी।

यह रिपोर्ट मैंने बरवक्त एक्सरे तैयार की थी। एक्सरे चुटैल का पहचान चिन्ह तथा चुटैल का निशानी अंगूठा लगा है जो मेरे द्वारा प्रमाणित है तथा इसमें मेरे भी हस्ताक्षर हैं, इस पर प्रदर्श क-2 डाला गया।

उसी दिन मैंने चुटैल राजू पुत्र नबाब सिंह निवासी मीरमपुर घेर थाना गुन्नौर का एक्सरे मेरी देखरेख में हुआ था। जिसका एक्सरे प्लेट सं0 11626 तथा दिनांक 01.10.12 पड़ी है।

1- दाहिनी कोहनी का एक्सरे सामान्य था।

2- दाहिनी जांघ का एक्सरे सामान्य था।

यह रिपोर्ट मैंने बरवक्ता एक्सरे तैयार की थी जिस पर चुटैल का पहचान चिन्ह व निशानी अंगूठा लगा है जो मेरे द्वारा प्रमाणित है। रिपोर्ट पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इस पर प्रदर्श क-3 डाला गया।

उसी दिन चुटैल नबाब सिंह पुत्र रामचरन निवासी ग्राम मीरमपुर घेर थाना गुन्नौर जिला सम्भल का एक्सरे भी मेरी देखरेख में हुआ था। उसका एक्सरे प्लेट सं0 11623 था तथा दिनांक 01.10.12 अंकित थी।

खोपड़ी का एक्सरे माथा सहित- बहुसंख्यक मैटेलिक धातु की छाया सिर व चेहरे के एरिया में मौजूद थी।

चेहरे का एक्सरे Andible सहित, इसका वर्णन उपर किया जा चुका है।

दाहिने हाथ का एक्सरे- एक मैटेलिक धुात की छाया, दाहिने हाथ के एरिया में मौजूद थी।

यह रिपोर्ट मेरे द्वारा लिखी व दस्तखती है। इस पर चुटैल का पहचान का चिन्ह अंकित तथा निशानी अंगूठा जो लगा है, मेरे द्वारा प्रमणित है। इस पर प्रदर्श क-4 डाला गया।

उसी दिन चुटैल लालाराम पुत्र रामचरन का एक्सरे मेरी देखरेख में हुआ था जिनका एक्सरे प्लेट नं0 11624 तथा दिनांक 01.10.12 अंकित है।

एक्सरे बांया हाथ- सामान्य था।

यह रिपोर्ट भी मेरे द्वारा एक्सरे के समय तैयार की थी जो मेरे लेख व हस्ताक्ज्ञर में है। इसपर चुटैल का पहचान चिन्ह अंकित है तथा उसका निशानी जो लगा है, मेरे द्वारा प्रमाणित है। इस पर प्रदर्श क-5 डाला गया।

15- पी0 डब्लू0-6 साक्षी C/72 हेमपाल सिंह ने अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 29.09.12 को मैं बतौर थाना गुन्नौर पर तैनात था और इसी दिनांक को वादी मुकदमा राजू की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध सं0 679/12 धारा 147,148,149,307,336 व 506 भा0 दं0 सं0 बनाम दीपक आदि पंजीकृत कर चिक सं0 234/12 मेरे द्वारा किता की गयी जो कागज सं0 4 क के रूप में पत्रावली पर मौजूद है, मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, तहरीर का विवरण पुष्ट पर अंकित है। चिक पर प्रदर्श क-6 डाला गया। इस मुकदमे का खुलासा मेरे द्वारा इसी दिनांक को जी0 डी0 पर किया गया था। मूल जी0 डी0 समयावधि पूर्ण होने के कारण नष्ट हो चुकी है।

16- पी0 डब्लू0-7 एस 0 आई 0 गिरिराज किशोर ने अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 29.09.2012 को मैं बतौर एस 0 आई 0 थाना गुन्नौर पर तैनात था, उक्त दिनांक को मेरी मौजूदगी में थाने पर दर्ज मुकदमा मु 0 अ 0 सं0 679/12, अन्तर्गत धारा 147,148,149,307,336 व 506 आई 0 पी0 सी0 बनाम योगेन्द्र आदि की विवेचना मुझे सुपुर्द की गयी थी, मैने इसी दिनांक को केस डायरी पर्चा नं0-1 में नकल एफ 0 आई 0 आर 0, नकल रपट तथा एफ 0 आई 0 आर 0 लेखक ब्यान अंकित किये, मजरूबों का डाक्टरी मुआयना की नकल की। दिनांक 30.09.2012 को अभि0 नीरज व योगेन्द्र गिरफ्तार कर उनके ब्यान अंकित किये। वादी को तलाश किया नहीं मिले दिनांक 08.10.2012 को मज़रूब रवि के ब्यान अंकित किये तथा उस निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर, वीरपाल व राजबहादूर के ब्यान अंकित किये तथा नक्शानजरी मेरे द्वारा तैयार किया जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है. जिस पर प्रदर्श क-7 डाला गया नक्शानजरी में अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयी घटना को दिखाया गया है, इसी क्रम में मेरे द्वारा नक्शानजरी तैयार किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा छत पर चढ़कर ईंट-पत्थर फेंके। गवाह लालाराम की मारपीट की गयी, जिस पर प्रदर्श क-8 डाला गया जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। दिनांक 10.10.12 को मेरे द्वारा केस डायरी पर्चा-5 किता की गयी जिसमें मजरूब सपना के ब्यान अंकित किये। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी। दिनांक 30.10.2012 को मजरूबों की पूरक रिपोर्ट की नकल की गयी तथा गवाह गोपाल व लालाराम के ब्यान अंकित किये। दौरान विवेचना समग्र साक्ष्य का परिशीलन करने के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया जो पत्रावली पर मेरे समक्ष उपलब्ध है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क-9 डाला गया।

17- पी0 डब्लू0-8 डाक्टर शेरसिंह कक्कड़ ने अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि दि0 29.09.12 को चिकित्साधिकारी के पद पर बदायूँ में तैनात था एवं उक्त दिनांक को E.M.O. की ड्यूटी कर रहा था।

उक्त दिनांक को सी0 पी0 701 व्यंत सिंह सिंह थाना गुन्नौर, चुटैल रवि यादव पुत्र श्री नवाब सिंह उम्र 18 वर्ष निवासी मीरमपुर थाना गुन्नौर जिला सम्भल, का शाम 1:20 पी0 एम 0 पर उनका चिकित्सीय परीक्षण किया गया। उनके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयीं-

1- एक फटा हुआ घाव आकार 0.3 x 0.2 सेमी x गहराई नहीं नापी गयी। छाती पर दाहिनी तरफ दाहिने निप्पल से 5 सेमी उपर घड़ी की एक बजाने वाली सुई की दिशा में।

2- एक फटा हुआ घाव आकार 0.3 x 0.3 सेमी x डी0 एन 0 पी0 पेट पर सीधी तरफ दाहिने निप्पल से 15 सेमी नीचे, घड़ी की 6.00 बजाने वाली सुई की दिशा में।

3- बहसुंख्यक फायरिंग वूण्ड ऑफ एन्ट्री 12 सेमी x 12 सेमी के क्षेत्रफल में दाहिनी ओर फोरआर्म के 200 Leteral क्षेत्र में। जिनका आकार 0.3 सेमी x 0.3 सेमी x डी0 एन 0 पी0 से 0.4 x 0.3 सेमी x डी0 एन 0 पी0 तक। चोट के चारो तरफ ब्लैकनिंग उपस्थित पायी गयी।

4- एक फटा हुआ घाव आकार 0.2 सेमी x 0.3 सेमी x डी0 एन 0 पी0 बांयी जांघ पर सामने की तरफ, बांये घुटने से 15 सेमी ऊपर, ब्लैकनिंग उपस्थित।

5- एक फटा घाव आकार 0.2 सेमी x 0.3 सेमी x डी0 एन 0 पी0 बांयी टांग पर अन्दर की तरफ बांये घुटने से 10 सेमी नीचे।

6- फटा हुआ घाव आकार 0.2 सेमी x 0.3 सेमी x डी0 एन 0 पी0 दाहिने घुटने पर बाहर की तरफ

7- एक फटा हुआ घाव आकार 0.2 सेमी x 0.3 सेमी x डी0 एन 0 पी0 बांयी टांग पर सामने की तरफ जख्म के चारो तरफ ब्लैकनिंग उपस्थित थी।

राय- समस्त चोटें जेरे निगरानी रखी गयी। सभी चोटें लगभग ताजी प्रकृति की थी एवं सभी चोटें किसी आग्नेयास्त्र से आने की सम्भावना थी।

पूरक रिपोर्ट- एक्सरे रिपोर्ट 11625 के आधार पर उपरोक्त चोटें जेरे निगरानी रखी गयी। वे समस्त चोटें साधारण प्रकृति की साबित हुई।

उक्त दिनांक को ही 1.50 पर उपरोक्त कां0 द्वारा लाये गये चुटैल लालाराम पुत्र रामचरन उम्र 40 वर्ष निवासी उपरोक्त् की चिकित्सीय परीक्षण में उनके शरीर पर निम्न चोट पायी गयी-

1- नीलगू व निशानयुक्त एक चोट की सूजन बांये हाथ पृष्ठ पर, आकार 6 सेमी x 8 सेमी कलाई से 2 सेमी ऊपर की तरफ

राय- चोट नं0 1 को जेरे निगरानी रखा गया। चोट लगभग ताजे प्रकृति की थी। किसी सख्त कन्द आला से आना सम्भव है।

उक्त दिनांक को ही कां0 701 व्यंत सिंह द्वारा 215 पर चुटैल कुमारी सपना पुत्री नबाब सिंह उम्र लगभग 17 वर्ष निवासी उपरोक्त् चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाई गयी उनके शरीर पर निम्न चोटें पाई गयीं-

चोट नं0 1 एक फटा हुआ घाव। सिर के बीच में आकार 1 सेमी x 0.4 सेमी x स्कैल्प तक गहरा।

राय- चोट नं0 1 साधारण प्रकृति की लगभग ताजी एवं किसी सख्त कुन्द आला से आना सम्भव है।

उक्त दिनांक को ही सी0 पी0 701 व्यंत सिह द्वारा नबाब सिंह पुत्र रामचरन उम्र 42 वर्ष निवासी उपरोक्त चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाये गये। परीक्षण में उनके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी।

चोट नं0 1 बहुसंख्यक फटे हुये घाव 12 x 16 सेमी के क्षेत्रफल में, माथे एवं चेहरे पर जिनका आकार 0.2 सेमी x 0.3 सेमी से 0.4 सेमी x 0.3 सेमी पाया गया। जख्म के चारो तरफ ब्लैकनिंग उपस्थित थी।

चोट नं0 2 दाहिने आंख 6 x8 सेमी की एक चोट की सूजन चुटैल देखने में परेशानी का अनुभव बता रहा है। चोट को जेरे निगरानी में रखा गया।

चोट नं0 3 एक फटा हुआ घाव आकार 0.3 सेमी x 0.4 सेमी x गहराठ नहीं नापी गयी। दाहिने हाथ पर सामने की तरफ ब्लैकनिंग उपस्थित थी।

चोट नं0 4 एक खरोंच का निशान आकार 6 सेमी x 1 सेमी दाहिनी तरफ स्कैपलर निचले क्षेत्र में पाया गया।

राय- चोट नं0 1, 2, 3, 4 जेरे निगरानी रखी गयी चोट सं0 2 नेत्र सर्जन को संदर्भित की गयी। चोट नं0 1 और 3 आग्नेयास्त्र से आने की सम्भावना है। चोट नं0 4 किसी सख्त कुन्द से आने की सम्भावना है। समस्त चोटें ताजी प्रकृति की थी। एक्सरे रिपोर्ट सं0 11623 के आधार पर चोट नं0 2 के अलावा समस्त चोटें साधारण प्रकृति की पाई गयी।

उक्त दिनांक को ही सी0 पी0 701 व्यंत सिंह द्वारा चुटैल राजू यादव पुत्र नबाब सिंह उम्र 30 वर्ष चिकित्सीय परीक्ष्पाण हेतु लाये गये। परीक्षण में उनके शरीर पर निम्न चोटें पाई गयीं-

1- एक खरोंच का निशान बांयी फोरआर्म पर अन्दर की तरफ आकार 2 सेमी x 2.5 सेमी x कलाई से 2 सेमी उपर।

2- एक फटा हुआ घाव। आकार 2 सेमी x 0.5 सेमी x गहराई नहीं नापी गयी। दाहिनी कोहनी पर बाहर की तरफ

3- एक फटा हुआ घाव आकार 0.4 सेमी x 0.3 सेमी x डी0 एन 0 पी0 दाहिनी जांघ की सामने की तरफ दाहिने घुटने से 15 सेमी उपर।

राय- चोट नं0 1 किसी सख्त व कुन्द से आना सम्भव है। चोट नं0 2 और 3 कारण एवं प्रगति हेतु जेरे निगरानी रखी गयी। समस्त चोटें ताजी प्रकृति की थी।

पूरक रिपोर्ट- एक्सरे रिपोर्ट सं0 11626 के आधार पर जो चोटें जेरे निगरानी रखी गयी थी, वह साधारण प्रकृति की एवं किसी सख्त व कुन्द व आला से आना सम्भव है।

यह मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली पर कागज सं0 6 क/3, 5 क/4, 6 क/5, 6 क/6, 6 क/7 उपलब्ध है। मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क-10, प्रदर्श क-11, प्रदर्श क-12, प्रदर्श क-13 व प्रदर्श क-14 डाले गये। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट रवि यादव, राजू व नवाब सिंह की एक्सरे रिपोर्ट जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क-2, क-3 व क-4 डाले गये।

18– अभियुक्तगण योगेन्द्र कुमार एवं शिवम के बयान धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 अंकित किये गये जिसमें अभियुक्तगण ने लगभग एक समान कथन करते हुये लगाये गये आरोप को गलत बताया। तथ्य के साक्षियों के बयानों को गलत बताया। शेष साक्षीगण के बयानों के संबंध में कहा कि गलत कार्यवाही की है। मुकदमा रंजिशन चलना बताया। यह भी कहा कि वादी मुकदमा व गवाह

घअना वाले दिन प्रार्थी की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से ईट पत्थर व फायरिंग की जिससे चोटें आयी। सफाई साक्ष्य दिये जाने को कहा।

19– अभियेाजन की ओर से दिये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 दं0 प्र0 सं0 पर साक्षी निरीक्षक विनोद कुमार शर्मा को पी0 डब्ल्यू0–9 के रूप में परीक्षित कराया गया।

20– अभियेाजन साक्षी सं0 9 निरीक्षक विनोद कुमार शर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि अभियोजन साक्षी PW–09 निरीक्षक विनोद कुमार शर्मा ने अपनी मौखिक साक्ष्य में सशपथ कथन किया है कि मैं वर्ष 2013 में थाना गुन्नौर जनपद बदायूं में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। थाना गुन्नौर पर दर्ज मु0 अ0 सं0 679/2012 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 336, 504, 506 भा0 दं0 सं0 अभियुक्त शिवम पुत्र रोहन सिंह थाना गुन्नौर जनपद संभल के विरुद्ध विवेचक प्रभारी निरीक्षक महोदय ने मुझ विवेचक के सुपुर्द हुई। मुकदमा से संबंधित पूर्व में किता की गई संपूर्ण केस डायरी, जिसमें बयान वादी, बयान गवाहान, चुटेल, नक्शा नजरी, डाक्टरी मुआयना, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तथा अन्य पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया था। पत्रावली में उपलब्ध कागज संख्या 3 क आरोपत्र सत्र वाद संख्या–532/2013 अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 307, 336, 504, 506 भा0 दं0 सं0 बनाम शिवम आरोप पत्र संख्या 225 बी/12 दिनांक 13.02.2013 आरोप पत्र मेरे द्वारा दाखिल कियागया था। आरोप पत्र मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–15 डाला गया। इसी मुकदमें से संबंधित आरोप पत्र माननीय न्यायालय में एस0 आई0 श्री गिरिराज किशोर के द्वारा दाखिल किया गया था जो पत्रावली पर प्रदर्श क–9 के रूप में उपलब्ध है। नक्शा नजरी प्रदर्श क–7 के रूप में उपलब्ध है।

21– अभियुक्तगण का अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 अंकित किया गया जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्षी सं0 9 के बयान के संबंध में कुछ नहीं कहा। सफाई साक्ष्य दिये जाने को कहा।

22– अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य में बचाव साक्षी सं0 1 गेंदन लाल पुत्र वासुदेव तथा बचाव साक्षी सं0 2 सोमवीर पुत्र गंगासहाय को परीक्षित कराया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 70 क से मु0 अ0 सं0 679 ए/12, सरकार बनाम नबाब सिंह आदि से संबंधित नकल एफ0 आई0 आर0, नकल आरोप पत्र, नक्शानजरी एवं बयान पी0 डब्ल्यू0–1 लगायत पी0 डब्ल्यू0–5 की सत्यप्रतिलिपियां प्रस्तुत की गयी हैं।

23– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

निष्कर्ष

24– प्रस्तुत विचारण में प्र0 सू0 रि0 राजू उर्फ नबाब सिंह द्वारा दिनांक 29.09.12 को दिन के आठ बजे की घटना कथित करते हुये 10.10 बजे दिन के थाना गुन्नौर में पांच अभियुक्त दीपक, योगेन्द्र, शिवम, अतेन्द्र व नीरज के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 307, 336, 506 भा0 दं0

सं0 के तहत दर्ज कराई गयी। अब विचारण केवल नीरज व शिवम का हो रहा है। शेष दीपक व अतेन्द्र की पत्रावली कमिट होकर प्राप्त नहीं हुई और योगेन्द्र की पत्रावली पृथक होकर किशोर न्याय बोर्ड बदायूँ में प्रेषित की गयी है।

25– प्र0सू0रि0 वादी राजू ने यह कथन किया है कि वह घटना के समय व दिनांक पर अपने भाई रवि व पिता नबाब के साथ घर के सामने की जगह में मिट्टी फैला रहा था, इस जगह का विवाद महेन्द्र से चल रहा है, तभी अभियुक्तगण तमंचे व लाइसेंसी बंदूक जो सियाराम की थी, लेकर आ गये और जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे और छत से ईंट बरसाने लगे, शोर पर गोपाल व लालाराम आये और मुल्जिमान को ललकारा तो मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देकर चले गये। मुख्य परीक्षा में पी0 डब्ल्यू0–1 राजू ने यह बताया कि मुल्जिमान का आपस में क्या–क्या रिश्ता है और शिवम व नीरज सगे भाई हैं, सभी मुल्जिमान एक ही परिवार के हैं और तहरीर प्रदर्श क–1 में यह स्पष्ट नहीं बताया था कि किस अभियुक्त के पास क्या हथियार था, किन्तु मुख्य परीक्षा में बताया कि शिवम के हाथ में लाइसेंसी बंदूक थी और शेष के हाथों में तमंचे थे। जिससे फायर किये और अब तहरीर से भिन्न यह कथन किया है कि गोपाल, लालाराम के अलावा सपना भी आ गयी थी। सपना वादी की सगी बहन है और सपना के आने के कोई कथन पूर्व में तहरीर या धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानों में वादी द्वारा नहीं किया गया था। सपना के आने के संबंध में पी0 डबल्यू0–2 द्वारा भी कोई कथन नहीं किया गया था। जबकि सपना से मारपीट करने का कथन पी0 डबल्यू0–1 अपनी मुख्य परीक्षा में कर रहा है। ऐसाकोई कथन पूर्व में तहरीर व 161 दं0प्र0सं0 में नहीं है। वादी ने यह कथन किया है कि ईट पत्थर छत से बरसाने लगे, किन्तु छत पर मुल्जिम कौन कौन गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। उसके पश्चात थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने का कथन है और डाक्टरी मुआइना बदायूँ अस्पताल में होने का कथन किया गया है और पिता नबाब सिंह का इलाज अलीगढ़ में कराने का कथन है किन्तु नबाब सिंह के अलीगढ़ में इलाज कराने के कोई भी प्रपत्र पत्रावली पर नहीं है और न ही विवेचक द्वारा अलीगढ़ के किसी डाक्टर का कोई बयान अंकित किया गया है और और न ही इस संबंध में अभियोजन द्वारा कोई चिकित्सीय प्रपत्र तलब करने का कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस प्रकार अलीगढ़ में नबाब सिंह का इलाज होने का कोई भी प्रपत्र पत्रावली पर नहीं है। इस संबंध में केवल पी0डबल्यू0–1 व नबाब सिंह पी0 डब्ल्यू0–3 का मौखिक कथन है। पी0 डबल्यू0–2 जो कि नबाब सिंह का ही पुत्र है, उसने भी नबाब सिंह के अलीगढ़ में इलाज होने का कोई कथन अपने साक्ष्य में नहीं किया है। प्रतिपरीक्षा में पी0 डब्ल्यू0–1 ने यह स्वीकार किया है कि मदनपाल उसके पापा के चचेरे भाई हैं और यह भी स्वीकार किया है कि महेन्द्र सिंह ने छह अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध सं0 679ए/12 थाना गुन्नौर में इस मुकदमे का क्रास केस अंकित कराया है और यह भी स्वीकार किया है कि उस मुकदमे में उन लोगों के वारंट चल रहे हैं। सभी घायल वादी के रिश्तेदार हैं, नबाब पिता, गोपाल ताऊ और नितिन तहेरे भाई और लालाराम चाचा हैं। किन्तु इस साक्षी ने यह कथन किया है कि क्रास केस के चुटैल संतोष व रविन्द्र के कोई चोट इसने नहीं देखी और न ही इन लोगों ने कोई चोट उन लोगों को

पहुंचाई। अगर उनके कोई चोट है तो इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। इस प्रकार वादी को यह स्वीकार है कि इनके विरूद्ध जिसमें वादी स्वयं अभियुक्त है, क्रास केस लंबित है, जिसमें इनके वारंट भी हुये और इसी जगह के बावत क्रास केस भी चला, किन्तु क्रास केस के साक्षीगण की कोई चोट उसके द्वारा नहीं देखी गयी। पी0 डब्ल्यू0–2 घटना का चुटैल रवि है, जिसने भी मुख्य परीक्षा में तो यही कथन किया है कि दिनांक 29.09.12 को सुबह आठ बजे जब वह अपने पिता व भाई के साथ जगह में मिट्टी डाल रहा था, मुल्जिमान आये, शिवम पर सियाराम की लाइसेंसी बंदूक थी, शेष पर तमंचे थे। आते ही मुल्जिमान गालियां देने लगे, जबकि गाली देने का कोई कथन न तो तहरीर में है और न ही पी0 डबल्यू0–1 के बयान में है। सर्वप्रथम पी0 डबल्यू0–2 द्वारा गालियां देने का कथन किया जा रहा है। पिता द्वारा गालियां देने से मना करने पर मुल्जिमान द्वारा फायर किये गये और शोर लालाराम व गोपाल आ गये, इस समय इस साक्षी द्वारा सपना के आने या उसके चोट लगने या उसके साथ मारपीट होने का कोई कथन नहीं किया गया। बाद में यह कथन किया गया कि लालाराम व सपना के चोटें आयीं। पिता पर शिवम का फायर लगा। जबकि किसका फायर किसके लगा, यह न तो तहरीर में है और न ही पी0 डबल्यू0–1 के बयान में है। पी0 डबल्यू0–3 ने भी यही कथन किया है कि उसे नहीं पता कि किसका फायर किसको लगा। यह सम्भव भी नहीं है , क्योंकि जब दोनों पक्ष आपस में लडाई कर रहे हों तो किस व्यक्ति का फायर किसको लगा है , यह वैलेस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अलावा कोई भी व्यक्ति बताने में समर्थ नहीं होगा। इस प्रकार पी0 डबल्यू0–2 ने इस संबंध में सही कथन अपने साक्ष्य में नहीं किया है। प्रतिपरीक्षा में इसने यह बताया है कि घर के सामने प्लाट की मिट्टी फैलाने की बात दरोगा जी को बताई थी, किन्तु इसके बयान में यह बात नहीं है तो इसकी यह वजह नहीं बता सकता। सम्पूर्ण केस इस बात का है कि जिस जगह का विवाद पक्षकारों के मध्य दीवानी न्यायालय में भी चल रहा था,उसी जगह पर मिट्टी फैलाने का झगड़ा हुआ, जबकि अब साक्षी यह कथन कर रहा है कि उस जगह पर मिट्टी नहीं फैला रहे थे, वरन मिट्टी दूसरी जगह पर फैला रहे थे, तो यदि वादी पक्ष विवादित जगह पर मिट्टी नहीं फैला रहा था तो झगड़ा होने का कोई प्रश्न ही नही होता। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मुल्जिमान पक्ष की कोई चोटें उसके द्वारा नहीं देखी गयी। क्रास केस के संबंध में कोई प्रश्न इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा में नहीं पूंछा गया। जबकि पी0 डबल्यू0–1 द्वारा क्रास केस को स्वीकार किया गया है। परन्तु आखिर में इसने यह बताया है कि इसके पिता भाई, नितिन, लालाराम, गोपाल के विरूद्ध इसी मुकदमे से संबंधित एक मुकदमा इसी न्यायालय में चल रहा है। यानि इस साक्षी ने भी क्रास केस के तथ्य को स्वीकार कर लिया है।

26– पी0 डबल्यू0–3 नबाब सिंह घटना के चुटैल परीक्षित हुये हैं, इसने मुख्य परीक्षा में इस मां बहन बेटी की गंदी गंदी गालियां देने का कथन किया है, जबकि ऐसा कोई कथन तहरीर व अन्य साक्षियों के बयानों में नहीं है। फिर इसने बताया कि गाली देने से मना करने पर मिट्टी फैलाने को लेकर झगड़ा हुआ, इसके बाद मुल्जिमान ने जान से मारने की नीयत से फायर किये। इसे शिवम का फायर लगा। दीपक का फायर किसको लगा, नहीं पता। बचाव में इसके द्वारा कुछ नहीं किया

गया। यह सम्भव ही नहीं है कि यदि चार पांच व्यक्ति किसी व्यक्ति पर हमला करें और उसके भी चार पांच व्यक्ति मौके पर उपस्थित हों और वो बचाव में कोई कार्यवाही न करें। फायरों की आवाज पर लालाराम, गोपाल व सपना का आने का कथन किया है। इन तीनों को भी मुल्जिमान द्वारा ईट पत्थर मारने का कथन किया गया है, जबकि लालाराम व गोपाल से मारपीट करने का कोई कथन पी0 डबल्यू0–1 व 2 का नहीं है। फिर सरकारी अस्पताल गुन्नौर में डाकटरी होने और वहां से जिला अस्पताल बदायूँ डाक्टरी होने का कथन है, तब अलीगढ़ में इलाज होने का कथन है, जबकि चिकित्सीय परीक्षण आख्या अलीगढ़ के संबंध में पत्रावली पर नहीं है और न ही इस साक्षी ने यह बताया है कि अलीगढ़ में किस अस्पताल में कितने दिन तक इसका इलाज हुआ। इस साक्षी ने एक नया कथन यह किया कि घटना में फायर लगने से इसकी आंख की रोशनी चली गयी। जबकि साक्षी की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में ऐसी कोई चोट आंख की रोशनी जाने की नहीं है और न ही डाक्टर जब पी0 डबल्यू0–8 के रूप में परीक्षित हुये, उन्होने आंख की रोशनी जाने का कथन किया है। एक्सरे करने वाले डाक्टर पी0 डबल्यू0–5 द्वारा भी इस साक्षी की आंख की रोशनी जाने का कोई कथन नहीं किया गया है। इस साक्षी ने यह भी नही बताया कि किस आंख की रोशनी गयी और अलीगढ़ का कोई प्रपत्र चिकित्सा के संबंध में पत्रावली पर नहीं है। इस प्रकार आंख की रोशनी जाने का कथन साबित नहीं होता है। प्रतिपरीक्षा में इसने यह कथन किया है कि इसे नहीं पता कि महेन्द्र सिंह ने इसके व पांच अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा लिखाया है और फिर कहा कि वह मुकदमा झूंठा लिखाया है। जब मुकदमा लिखाने का तथ्य ही ज्ञात नहीं है तो फिर झूंठा सच्चा होना संभव नहीं है। जबकि इस साक्षी ने यह कथन कर दिया कि मुकदमा झूंठा लिखाया है तो उसे क्रास केस की जानकारी हो जाती है। इसने यह भी स्वीकार किया है कि इसके मकान के पीछे जो प्लाट है, जिसके संबंध में यह घटना घटित हुई, उसका मुंसिफ गुन्नौर की अदालत में दीवानी वाद चला था, जिसमें दिनांक 01.04.11 को उसके खिलाफ आदेश हुआ। जिसकी अपील ए0डी0जे0 प्रथम के यहां चल रही है। इस प्रकार दीवानी का मुकदमा लंबित होने जिसमें इसके खिलाफ आदेश होने के तथ्य को इस साक्षी ने स्वीकार किया है। फिर दिनांक 30.10.15 को जब इसकी प्रतिपरीक्षा हुई तो उसने स्वीकार किया कि उसकी अपील ए0डी0जे0 प्रथम के यहां दिनांक 07.09.15 को खारिज हो गयी है। तो इस प्रकार जगह के विवाद के संबंध में जिसका बंटवारा न होने का तथ्य इसको स्वीकार है, उसमें दीवानी न्यायालय में अपील तक इसके विरूद्ध मुकदमा निस्तारित हो चुका है। यह भी तथ्य स्वीकार है कि इस मुकदमे का क्रास केस इसके व इसके लड़कों के विरूद्ध चल रहा है, जिसकी रिपोर्ट महेन्द्र सिंह ने लिखाई थी। किन्तु उनकी चोटें होने के तथ्य को इस साक्षी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

27– पी0 डबल्यू0–3 की पुत्री सपना पी0 डबल्यू0–4 के रूप में परीक्षित हुई, जिसकी उपस्थिति तहरीर में कहीं भी कथित नहीं की गयी है। धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानों में इसने अपनी उपस्थिति मौके पर होने का कथन किया है। मुख्य परीक्षा में इसने एक नया तथ्य कथित किया है कि मुल्जिमान ने उसके भाई व पिता पर जान से मारने की नीयत से फायर किये और जब

वह व लालाराम बचाने आये तो उसके ऊपर डण्डों व ईट पत्थरों से पथराव करके घायल कर दिया। जबकि डण्डे से हमला करने का कोई कथन इससे पूर्व किसी भी साक्षी का नहीं है। प्रतिपरीक्षा में इसने यह स्वीकार किया है कि मिट्टी फैलाने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था, पहले फायर मारे, फिर ईट पत्थर बरसाये, एक पत्थर इसके लगा, किन्तु किसका पत्थर था, यह नहीं बता सकती, पत्थर पांचो लोग मार रहे थे। शिवम के फायरों से पिता व भाईयों के चोट आयी थी, यह भी स्वीकार किया है कि इसी झगड़े से संबंधित एक मुकदमा पिता व भाईयों के विरूद्ध चल रहा है। तथ्य के चार साक्षी अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये। चारों ने क्रास केस होने का कथन स्वीकार किया। अभियुक्तगण की ओर से मु0 अ०सं0 679 ए/12 धारा 147,148,149,307, 452, 504,506 भा0 दं0 सं0 की रिपोर्ट महेन्द्र सिंह द्वारा दाखिल की गयी है। अभियुक्तगण की ओर से क्रास केस के प्रपत्र सूची 70 क/1 से दाखिल किये गये हैं जो प्र 0 सू0 रि0, आरोप पत्र, नक्शानजरी, साक्षियों के बयान की सत्यप्रतियां 70 क/2 लगायत 70 क/38 हैं। साक्षियों ने भी यह स्वीकार किया है कि इसी मुकदमे से संबंधित इसी दिन व समय का मुकदमा इसी न्यायालय में साक्षियों के विरूद्ध चल रहा है। किन्तु किसी भी साक्षी के द्वारा यह स्वीकार नहीं किया गया कि उन्होंने भी अभियुक्त पक्ष को चोटें पहुंचाई या मारपीट की। जब अभियुक्त पक्ष को चोटें पहुंचाने व मारपीट करने के तथ्य को साक्षी स्वीकार ही नहीं कर रहे तो कौन आक्रामक है, इस तथ्य का कोई कथन किसी साक्षी का नहीं है। जब आक्रामक ही निश्चित नहीं हो रहा है तो साक्ष्य से यही प्रत्यक्ष हो रहा है कि घटना बिना किसी पूर्व नियोजित योजना के तहत घटित नहीं हुई है और न ही ऐसा कोई कथन किसी साक्षी का है, वरन अचानक जब दोनों पक्ष मिट्टी फैलाने को लेकर आमने सामने आ गये तो दोनों द्वारा एक दूसरे की मारपीट कर दी गयी। इस प्रकार दोनों पक्षों द्वारा फ्रीफाइट की गयी जिससे दोनों पक्षों के चोटें आयीं।

28– प्रस्तुत विचारण में धारा 307 भा0 दं0 सं0 का आरोप अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित किया गया है, धारा 307 भा0 दं0 सं0 में दोषसिद्धि करने के लिए चोटों की प्रकृति जानना आवश्यक है। इस संबंध में डा0 शेर सिंह पी0 डबल्यू0–8 के रूप में परीक्षित हुये, जिन्होंने सभी चुटैलों रवि यादव, राजू, नबाब सिंह, लालाराम व सपना का चिकित्सीय परीक्षण किया जिसमें रवि के सात चोटें डाक्टर ने पाई, किन्तु सभी चोटों की प्रकृति पूरक रिपोर्ट में साधारण बताई गयी। लालाराम के मात्र एक चोट पाई गयी, वह भी डाक्टर ने साधारण बताई। सपना के भी एक ही चोट साधारण प्रकृति की बताई गयी। नबाब सिंह के चार चोटें डाक्टर द्वारा बताई गयी, किन्तु चोट नं0 2 को छोड़कर सभी चोटें साधारण प्रकृति की पाई गयी और चोट नं 0 2 के संबंध में चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श –क 13 में चोटों की प्रकृति चोट नं0 2 के संबंध में कथित नहीं की गयी है और यह चोट फटा हुआ घाव दाहिने निप्पल के 15 सेमी नीचे बताया गया है। इस चोट का आगे क्या परिणाम हुआ यह बाद में न तो अभियेाजन द्वारा बताया गया और न ही साक्षी द्वारा बताया गया है। इस चोट के संबंध में कि यह चोट साधारण थी या गंभीर पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है और शेष सभी चोटें साधारण पाई गयी हैं। राजू के तीन चोटें पाई गयी है यह भी पूरक रिपोर्ट में साधारण

पाई गयी हैं। तो इस प्रकार सभी चुटैलों की चोटें साधारण बताई गयी हैं। नबाब सिंह की चोट नं0 2 के बारे में डाक्टर का यह कथन है कि वह इस संबंध में कोई राय नहीं बता सकता। इस चोट को भी डाक्टर द्वारा गंभीर नहीं बताया गया है। यानि किसी भी चुटैल के कोई भी चोट गंभीर प्रकृति की नहीं है। इस प्रकार कोई भी चोट प्राणघातक नहीं है, यानि कोई भी चोट ऐसी नहीं है कि यदि समय पर इलाज न होता तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। साधारण चोटों से मृत्यु कारित नहीं हो सकती और न ही घटना पूर्वनियोजित योजना के तहत घटित करने का कोई साक्ष्य है। दोनों पक्षों में खुली लड़ाई हुई है, कोई भी पक्ष आक्रामक नहीं हैं, चोटें साधारण हैं और इस प्रकार धारा 307 भा0 दं0 सं0 साबित नहीं होता है।

29– धारा 504 भा0 दं0 सं0 का भी आरोप अभियुक्तगण पर लगाया गया है, किन्तु ऐसी किसी भी गाली का कोई जिक्र किसी भी साक्षी ने नहीं किया है जिससे अभित्रास किसी भी साक्षी को हो और वह इस कारण कोई घटना कारित करे। धारा 504 भा0 दं0 सं0 की दोषसिद्धि के लिए उन शब्दों का प्रयोग आवश्यक है जो शब्द अभित्रास उत्पन्न करें, किन्तु ऐसे कोई भी शब्द किसी भी साक्षी द्वारा नहीं बताये गये हैं। धारा 506 भा0 दं0 सं0 का भी आरोप विरचित किया गया है। इसके लिए आवश्यक है कि जान से मारने की धमकी देने के पश्चात कोई ऐसा कृत्य किया जाये जिससे साक्षी के मन में युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो जाये कि अभियुक्त उसे मार ही देगा। परन्तु साक्षियों ने साक्ष्य यह दिया है कि जान से मारने की धमकी देते हुये अभियुक्तगण भाग गये। तो जब अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गये तो उनके द्वारा धमकी देने के पश्चात साक्षी को जान से मारने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार धारा 506 भा0 दं0 सं0 का भी आरोप साबित नहीं होता है। चुटैलों के चोटें सख्त व कुन्द आले के साथ साथ धारदार हथियारों की भी हैं, किन्तु सभी चोटें साधारण हैं।

30– उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण नीरज एवं शिवम के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 307/149, 504, 506 भा0 दं0 सं0 को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, अतः इसमें अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है तथा अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 323/149, 324/149, 336 भा0 दं0 सं0 को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है अतः इन अपराधों में अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सत्र वाद सं0 532/2013, मु0 अ0 सं0 679/2012, थाना गुन्नौर, जिला सम्भल में अभियुक्त नीरज को लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 307/149, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 147, 148, 323/149, 324/149, 336 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया जाता है।

सत्र वाद सं0 534/2013, मु0अ0सं0 679/2012, थाना गुन्नौर, जिला सम्भल में अभियुक्त शिवम को लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 307/149, 504,506 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 147, 148, 323/149, 324/149, 336 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उक्त दोषसिद्धि के आधार पर अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। उनके जमानतनामे व बंध–पत्र निरस्त किये जाते हैं, जामिनदारों को उनके दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

पत्रावली अभियुक्तगण की सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु भोजनावकाश उपरान्त पेश हो।

दिनांकः– 14.05.2026

(कु0 रिंकू)
J.O. Code- UP 6101
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0– 1, बदायूँ

<u>भोजनावकाश उपरान्त</u>

पत्रावली सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुई।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी का कथन है कि अभियुक्तगण को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये। जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुये उनको कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये दोषसिद्ध अभियुक्तगण को निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय की मंशा पूर्ण हो सकेगी।

<u>दण्डादेश</u>

सत्र वाद सं0 532/2013 एवं 534/2013 में दोषसिद्ध प्रत्येक अभियुक्त नीरज एवं शिवम को धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में एक–एक वर्ष के कारावास के दण्ड से एवं अंकन एक–एक हजार (1,000–1,000) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त पांच–पांच दिन के अतिरिक्त कारावास का भागी होगा।

दोषसिद्ध प्रत्येक अभियुक्त को धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में दो–दो वर्ष के कारावास के दण्ड से एवं अंकन दो–दो हजार (2,000–2,000) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त दस–दस दिन के अतिरिक्त कारावास का भागी होगा।

दोषसिद्ध प्रत्येक अभियुक्त को धारा 323 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में एक–एक वर्ष के कारावास के दण्ड से एवं अंकन एक–एक हजार (1,000–1,000) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त पांच–पांच दिन के अतिरिक्त कारावास का भागी होगा।

दोषसिद्ध प्रत्येक अभियुक्त को धारा 324 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में तीन–तीन वर्ष के कारावास के दण्ड से एवं अंकन पांच–पांच हजार (5,000–5,000) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त एक–एक माह के अतिरिक्त कारावास का भागी होगा।

दोषसिद्ध प्रत्येक अभियुक्त को धारा 336 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में तीन–तीन माह के कारावास के दण्ड से एवं अंकन दो सौ पचास–दो सौ पचास (250–250) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त एक–एक दिन के अतिरिक्त कारावास का भागी होगा।

सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी। दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गयी अवधि को उनकी सजा की अवधि में समायोजित किया जायेगा।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण के सजायाबी वारंट अविलंब बनाकर उन्हें सजा भुगतने हेतु जिला कारागार भेजा जावे।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण को इस निर्णय की एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

इस निर्णय की एक प्रति सत्र वाद सं0 534/2013 पर रखी जाये।

दिनांकः– 14.05.2026

(कु0 रिंकू)
J.O. Code- UP 6101
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0– 1, बदायूँ

आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित होकर खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

दिनांकः– 14.05.2026

(कु0 रिंकू)
J.O. Code- UP 6101
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0– 1, बदायूँ

Digitally signed by Rinku Jindal
Date: 2026.05.14 16:04:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court